न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड , आर.ए.एस.

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
खेमाराम पुत्र जेठाराम जाट निवासी रिड़ तह. परबतसर		1. प्रतापराम पुत्र जेठाराम जाट निवासी रिड़ तह. परबतसर 2. तहसीलदार, परबतसर

दावा बाबत :– अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री प्रतापराम अप्रार्थी 1 स्वंय

मुकदमां नम्बर :– 51/2018 निर्णय दिनांक :– 18/02/2020

निर्णय

1. प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री गजराज चौहान के यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम रिड़ के खसरा नम्बर 596, 841, 852, 853, 854, 858, 933, 934, 935, 939, 943, 946, 947, 948 कुल रकबा 23.58 हैक्टयर , खसरा नम्बर 857 रकबा 2.75 हैक्टयर में 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 795 रकबा 5.46 हैक्टयर, खसरा नम्बर 796 रकबा 2.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 797 रकबा 1.39 हैक्टयर में 1/3 हिस्सा, खसरा नम्बर 48 रकबा 4.61 हैक्टयर में 1/4 हिस्सा खसरा नम्बर 595 रकबा 1.29 हैक्टयर में 1/5 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 941 हैक्टयर में 1/6 हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थी 1 की सह खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की जमीन वर्षो पूर्व बंटवारे के आधार बंटी हुई हैं तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्से में काश्त काबिज हैं। चुंकि संयुक्त खातेदारी में भूमि में प्रत्येक खातेदार का जमीन के प्रत्येक इंच में हक हिस्सा होता हैं तथा प्रार्थी के लिए अपनी खातेदारी हक व बंट की जमीन का सही खसरा नम्बर बता पाना सम्भवन नही हैं इसलिये प्रार्थी मौके की स्थिति व कब्जे काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करवाने हेतु वाद पेश किया है। प्रार्थी व अप्रार्थी 1 के हक हिस्सा बंट के अनुसार खसरा नम्बर 946 आया हुआ हैं जिसमें प्रार्थी के हिस्से में खसरा नम्बर 946 में से 2/3 हिस्सा तथा शेष 1/3 हिस्सा अप्रार्थी 1 का हैं अन्य खातेदारो का इस भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। विवाद खसरा नम्बर 946 में उत्पन्न हुआ हैं क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी रास्ते को बन्द करने का प्रयास किया हैं जो प्रार्थी को बंटवारे के अनुसार प्राप्त हुआ हैं अप्रार्थी ने प्रार्थी की जमीन में आने वाले रास्ते की भूमि में चदर का छपरा बना लिया है जिससे प्रार्थी के हक हिस्से में आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है जिससे प्रार्थी को मजबूर होकर जमीन का बेचान करना पड़े प्रार्थी को खसरा नम्बर 946 की जमीन में आने

Scanned by CamScanner

जाने के लिए एक मात्र रास्ता कुए के पिछे से होकर आता हैं जो उत्तर दिशा में हैं इसलिए प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 946 में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बटवारे के साथ रास्ता प्राप्त करने का अधिकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम रिढ के खसरा नम्बर 946 में आने जाने वाले रास्ते में अप्रार्थी किसी प्रकार की रूकावट व बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा यदि किसी प्रकार की रूकावट व बाधा या कच्चा पक्का निर्माण कर लिया हैं तो अप्रार्थी 1 द्वारा हटाया जावें मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 ने जवाब मय काउन्ट क्लेम पेश कर निवेदन किया हैं कि सम्पूर्ण भूमि में प्रार्थी ने यह नहीं दर्शाया हैं कि किस खसरा नम्बर में कितना हिस्सा प्रार्थी का है व किस दिशा में हैं प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्षो से भूमि बंटी हुई होना बताया हैं लेकिन प्रार्थी ने अपना हिस्सा व खसरा न्बरान में कहां कहां स्थित हैं कौन कौन सा खसरा प्रार्थी के काश्त में हैं प्रार्थी स्वंय के कथनों के अनुसार प्रार्थी ने गलत व झुठे तथ्य अंकित किये हैं खसरा नम्बर 943 में से कभी प्रार्थी का रास्ता नहीं रहा हैं खसरा नम्बर 946 में आने जाने का रास्ता आबादी से होकर हैं जो कुऐ के पूर्वी दिशा से होकर उत्तर पश्चिम मौके पर मौजूद हैं खसरा नम्बर 946 में प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 7 का 1/4 हिस्सा हैं जिसमें प्रार्थी का 1/28 हिस्सा कानूनी रूप से बनता हैं शेष 3/4 हिस्सा अन्य खातेदारो की खातेदारी का है। रास्ता सभी खेतो का शामलाती आबादी से पूर्व की ओर जाता हैं। जिसको प्रार्थी ने मौके पर छरडिया डाल कर बन्द कर रखा हैं जो रास्ता पूर्व दिशा से उत्तर दिशा के सभी खेतो में आने जाने का शामलाती रखा हुआ था जिसको रोक कर झूठा दावा प्रार्थी ने तीसरी बार पेश किया हैं पूर्व में राजस्व वाद 79/2016 अनुवान खेमाराम बनाम प्रतापराम दिनांक 13.06.2016 को पेश किया था उसके साथ टी.आई. प्रार्थना पत्र 77/2016 पेश किया था खेमाराम बनाम प्रतापराम 151/016 पेश किया जो न्ययालय द्वारा दिनांक 20.02.2018 को खारित कर दिया खेमाराम बनापम जगदीश वगेराह अप्रार्थी के विरूद्ध 07/2017 पेश किया जो दिनांक 26.12.2017 को नोट प्रेस में खारिज करवा लिया गया इस प्रकार प्रार्थी केवल अप्रार्थी को तंग व परेशान करने व बरबाद करने की मंशा से लगातार माननीय न्यायालय में झुठे व गलत तथ्यों के आधार पर एक ही भूमि से सम्बन्धित वाद पत्र पेश कर न्यायालय का समय बरबाद कर रहा हैं। प्रार्थी ने वर्षो पूर्व हो रखे बंटवारे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं प्रार्थी स्वंय ने खसरा नम्बर 946 की उत्तरी सीमा से होकर पश्चिम से पूर्व आने जाने का उपयोग उपभोग का रास्ता मोजूद हैं जिसको प्रार्थी ने खसरा नम्बर 946 की पूर्वी सीमा पर छरडिया डाल कर रोक कर अन्य खातेदारो को खेतो में आने जाने में बाधा की है। अप्रार्थी ने काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी कोष्ट पर खारिज फरमाया जावे व

13/2/2020
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी को द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमा कर मौके पर मोजूद रास्ते को प्रार्थी द्वारा रोके गये स्थान से खुलवाया जाकर भविष्य में नहीं रोके इस हेतु प्रार्थी को पांबद फरमावे। अप्रार्थी 2 का नोटिस तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता श्री गजराज चौहान व अप्रार्थी 1 की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयत में प्रार्थी अप्रार्थी 1 व अन्य सह खातेदारो की खातेदारी में दर्ज है, मौके पर सम्पूर्ण भूमि का बंटवारा होकर सभी अलग अलग काबिज काश्त हैं प्रार्थी व अप्रार्थी 1 के हक हिस्सा बंट के अनुसार खसरा नम्बर 946 आया हुआ हैं जिसमें प्रार्थी का 2/3 हिस्सा व अप्रार्थी 1 का 1/3 हिस्सा हैं अन्य सह खातेदारो का इस भूमि में कोई हिस्सा नहीं हैं खसरा नम्बर 946 में आने वाले रास्ते का अप्रार्थी 1 ने बन्द कर दिया हैं जिससे विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी ने सम्पूर्ण आराजीयत में मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड करवाने हेतु वाद पेश किया हैं उसके निर्णय तक प्रार्थी को खसरा नम्बर 946 में आने जाने में अप्रार्थी बाधा उत्पन्न नहीं करे व कच्चा पक्का निर्माण कर लिया हैं तो अप्रार्थी को उसे हटाये जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि सम्पूर्ण भूमि मौके पर बंटी होना प्रार्थी ने बताया हैं लेकिन किस खसरो में किस तरफ कितनी भूमि प्रार्थी की हैं प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में नहीं बताया हैं खसरा नम्बर 946 सम्पूर्ण प्रार्थी के कब्जे काश्त में नहीं हैं इसमें 1/4 हिस्सा में प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 7 हिस्सा हैं तथा शेष 3/4 हिस्सा अन्य सह खातेदारो का है। खसरा नम्बर 946 में आने जाने हेतु रास्ता आबादी भूमि से होकर हैं जो कुऐ के पूर्वी दिशा से होकर उत्तर पश्चिम मौके पर मौजूद हैं जिसमें प्रार्थी स्वंय ने मौके पर छरडिया डाल कर बंद कर रखा हैं। वर्षो पूर्व बंटवारा होना प्रार्थी ने बताया हैं लेकिन कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार विवादित सम्पूर्ण भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिर्काड हैं केवल प्रार्थी व अप्रार्थी 1 की खातेदारी भूमि नहीं होकर अन्य भी सह खातेदार जो वाद में पक्षकारा मुकदमां हैं। खसरा नम्बर 946 में नारायणराम, खेमाराम प्रतापराम, हेमाराम पि. जेठाराम का 1/5 हिस्सा हैं शेष भूमि अन्य खातेदारो की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थी के अनुसार भूमि का वर्षो पूर्व बंटवारा हो रखा हैं। जिसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करवाने हेतु प्रार्थी ने वाद पेश कर रखा हैं। जमाबन्दी के अनुसार भी सम्पूर्ण प्रार्थी व अप्रार्थी 1 एवं वाद पत्र में अन्य पक्षकार प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं, जिसका विधिवत रूप से

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

बंटवारा होना हैं। प्रार्थी का कहना हैं कि उसके हिस्से की भूमि में जाने का रास्ता अप्रार्थी ने बंद कर रखा हैं तथा अप्रार्थी का कहना हैं की अन्य सभी खातेदारो के हिस्से में जाने का रास्ता प्रार्थी ने बन्द कर रखा हैं। भूमि का मौके पर भौतिक रूप से बंटवारा हो रखा हैं अथवा नहीं मौके पर हो रखे बंटवारे के अनुसार सभी के हिस्से तक रास्ता छोड़ रखा हैं या नहीं यह सम्पूर्ण तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होना हैं। इस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखना हैं कि कोई खातेदार अपने हक हिस्से के उपयोग उपभोग से वाद के निर्णय तक वंचित नहीं रहे। अप्रार्थी ने भी काउन्टर क्लेम पेश कर प्रार्थी द्वारा बन्द रास्ते के खुलवा कर भविष्य में बन्द नहीं करने हेतु पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की गई है। ऐसी स्थिति में वाद में विधिवत रूप से सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण निर्णय होने तक दोनों पक्षों को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर उभय पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि वाद के निर्णय तक किसी भी सह खातेदार के हक हिस्से की भूमि में आने जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करे। यह आदेश आज दिनांक 18/02/2020...को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/02/2020

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner